कार्यालय नगर पालिका परिषद, आजमगढ़

पत्रांकः– 471 /न0पा0प0आ0/2018–19 दिनांकः– 26/04/18

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा निर्माण कार्यो को ठेके पर दिये जाने हेतु ठेकेदारों से वित्तीय वर्ष 2018–19 के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु दिनांक 10.05.2018 तक नियमानुसार आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है। दिनांक 10.05.2018 के पश्चात् निर्माण कार्यो के ठेके उन्हीं ठेकेदारों को दिया जायेगा, जिनका वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए पंजीकरण/नवीनीकरण हो चुका होगा। पंजीकरण/नवीनीकरण के समय निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिससे की पंजीकरण/नवीनीकरण पर विचार किया जा सकें।

पंजीकरण हेतु/नवीनीकरण हेतु नियम व शर्ते :–

1. आवेदक के गृह जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हैसियत प्रमाण पत्र (जो दिनांक 01.04.2017 से पूर्व का निर्गत न हो।
2. आवेदक के गृह जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया चरित्र प्रमाण पत्र (जो दिनांक 01.04.2017 से पूर्व का निर्गत न हो)
3. व्यापार कर में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र (जी0एस0टी0 नम्बर, रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र एवं अद्देयता प्रमाण पत्र) आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना है।
4. आयकर विभाग द्वारा प्राप्त पैन कार्ड की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
5. किसी कार्यदायी संस्था से कार्य सन्तोषजनक ढ़ंग से पूर्ण करने का अनुभव होना चाहिए रू0 10.00 लाख की।
6. पासपोर्ट साईज का दो फोटो जो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो।
7. पंजीयन/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ वार कॉउन्सिल का सदस्य न हो एवं नगर पालिका के सदस्य/कर्मचारी के सगे सम्बन्धी न हो का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में किसी प्रकार हलफनामा मान्य नही होगा।
9. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के पक्ष में रू0 30,000.00 की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में प्रतिभूत जमा करना अनिवार्य होगा एवं आवेदन फार्म पर भी अंकित करना होगा।
10. समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रार्थना पत्र नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में दिनांक 10.05.2018 तक जमा किया जायेगा। इसके बाद प्राप्त प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
11. प्रपत्रों की जॉच होने के उपरान्त स्वीकृति के बाद ही ठेकेदारों का पंजीयन/नवीनीकरण किया जायेगा।
12. यदि किसी पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया है या गलत सूचना दी गयी है तो ज्ञात होने पर उसकी जमानत जब्त करते हुए पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
13. किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा। आवेदक का कोई दावा मान्य नही होगा।
14. पंजीयन शुल्क रू0 15,000.00 तथा नवीनीकरण शुल्क रू0 10,000.00 पालिका कोष में जमा होगा।
15. पंजीयन/नवीनीकरण आवेदन पत्र कार्यालय अवधि में रू0 1500.00 जमा करके कार्यालय नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ से प्राप्त किया जायेगा।
16. समय–समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/संशोधनों का पालन करना होगा।
17. पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदक यदि दो या दो से अधिक साझेदारी वाली फर्म है तो फर्म के नाम का हैसियत प्रमाण–पत्र मान्य होगा। आवेदक यदि एकल स्वामित्व फर्म है तो ट्रेड नेम (फर्म का नाम) अथवा लीगल नेम (व्यक्ति विशेष का नाम) से निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

उक्त तिथि के पश्चात् पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु वर्ष 2018–19 में समक्षः अधिकारी के निर्णय के उपरान्त ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अधिशासी अधिकारी	**अध्यक्ष**
नगर पालिका परिषद, आजमगढ़	नगर पालिका परिषद, आजमगढ़
26/04/18	

प्रतिलिपि–:

1. सम्पादक "हिन्दुस्तान व आज" दैनिक समाचार पत्र आजमगढ़ कोइस आशय से प्रेषित कि अपने समाचार के अगले अंक में कम से कम स्थान में उक्त सूचना प्रकाशित करके प्रकाशन के दो प्रति बिल के साथ प्रस्तुत करें।
2. सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी आजमगढ़ को जनपद की वेबसाइड एन0आई0सी0 पर प्रसारित करने हेतु।
3. नाजिर कलेक्ट्रेट आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
4. नाजिर जिला पंचायत आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
5. लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
6. तहसीलदार सदर, आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
7. नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, आजमगढ़